प्रेस नोट
दिनांक 27.11.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा एम्स इण्टरनेशनल स्कूल गोण्डा में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में पहुंचकर, उपस्थित खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर बढाया मनोबल–

गोण्डा। आज दिनांक 27.11.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एम्स इंटरनेशनल स्कूल, गोण्डा में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में पहुंचे, जहाँ विद्यालय प्रबंधन एवं कॉलेज स्टाफ द्वारा उनका भव्य स्वागत मोमेंटो और शॉल भेंटकर किया गया। स्वागत के उपरान्त महोदय द्वारा खेल परिसर का निरीक्षण किया तथा विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही खिलाड़ियों की तैयारी, अनुशासन और टीम भावना की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात विद्यालय प्रबंधन द्वारा महोदय को प्रतियोगिता में शामिल खेलों की विस्तृत रूपरेखा, प्रतिभागियों की संख्या, आयोजन की समय–सारणी तथा विभिन्न विद्यालयों से आए प्रतिभाशाली बच्चों की जानकारी दी गई। महोदय द्वारा खेल मैदान, सुरक्षा व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए बनाए गए अलग–अलग वार्मअप ज़ोन एवं मेडिकल सुविधाओं का भी जायजा लिया और आवश्यकतानुसार कुछ सुधारात्मक सुझाव भी प्रदान किए। संबोधन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का सशक्त साधन हैं। खेल व्यक्ति के भीतर अनुशासन, निर्णय क्षमता, नेतृत्व गुण व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिले में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यक है तो केवल उन्हें उचित अवसर और मंच प्रदान करने की। साथ ही महोदय द्वारा विद्यालय के शिक्षकगण, खेल प्रशिक्षकों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ–साथ जिले के खेल वातावरण को भी मजबूत बनाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला पुलिस प्रशासन की ओर से खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

इस अवसर पर विद्यालय प्रबन्धन सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.11.2025

यातायात माह के अन्तर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज गोण्डा में व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात माह–नम्बर 2025 के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 27.11.2025 को क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रभारी यातायात श्री जगदंबा गुप्ता, टीएसआई श्री राकेश कुमार द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोण्डा एक विशेष यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारीगण द्वारा कॉलेज के लगभग 350 छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। छात्रों को यातायात संकेतों की पहचान, हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने तथा पैदल चलते समय सड़क सुरक्षा के मानकों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा छात्रों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने एवं अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गयी साथ ही बताया गया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, जिन्हें केवल सतर्कता और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यातायात माह के दौरान गोण्डा पुलिस द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं जनसमुदाय के बीच इसी प्रकार के जन–जागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण संदेश–

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें–बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।